उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-127/2019/2361/92-2-2019-54आरई/2006
लखनऊ :: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति/गबन के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फतेहपुर को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-352/62-3-07-54आरई/06 दिनांक 22-01-2007 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-इलाहाबाद द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में पत्र दिनांक 29-10-2007 द्वारा एकपक्षीय जांच आख्या शासन में प्रेषित की गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी 03 आरोप प्रमाणित पाये जाने पर शासन के पत्र दि0 28-11-2007 व 31-12-2007 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनका बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी 03 आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र सं0-5225/62-3-2007-54 आरई/2006 दिनांक 15-01-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र सं0-302/15/एडीसी/एस-12/2007-08 दिनांक 26-03-2008 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। लोक सेवा आयोग की उक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फतेहपुर को निलम्बन से बहाल करते हुये उनके विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-01-2007 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1530/62-3-2008-54आरई/2006 दिनांक 14-05-2008 द्वारा निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त कर दिया गया :-

(क) श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-फतेहपुर (सम्प्रति निलम्बित) द्वारा की गयी शासकीय क्षति/गबन रू0 1,31,596.00 की वसूली श्री सिंह के वेतन से कर ली जाय।

(ख) श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अभियंता की 02 वेतन वृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोक दी जाय।

(ग) श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अभियंता द्वारा प्रकरण में किये गये उक्त कृत्यों हेतु उन्हें निम्नवत परिनिन्दित किया जाता है :-

"श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता द्वारा जी0टी0 रोड से रमवां सम्पर्क मार्ग के निर्माण में गंगा मोरम प्रयुक्त न करने, सी0सी0 रोड में ईटो के अदधे प्रयोग करने, सडक की क्रस्ट की मोटाई मानक के अनुरूप न होने तथा 2.00 लाख से ऊपर के कार्यो का वृहद प्रचार-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से न करने के कारण उनके द्वारा शासकीय क्षति कारित की गयी है, इस हेतु श्री सिंह की भर्त्सना करते हुये परिनिन्दित किया जाता है।"

उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि वर्ष 2007-08 में उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में रखी जायेगी।

2- अपचारी अधिकारी, श्री दीनानाथ सिंह के विरूद्ध शासन द्वारा निर्गत दण्डादेश दि0 14-05-2008 के विरूद्ध उनका प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2007 को प्रस्तुत किया गया। श्री सिंह पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में विस्तृत विवेचना/आख्या निम्नवत है :-

<u>आरोप संख्या-1</u>

जी0टी0 रोड से रमवॉ सम्पर्क मार्ग के निर्माण में गिटटी कुटाई का कार्य, गांव में मिटटी डालने तथा सी0सी0 रोड का निर्माण और नाली निर्माण का कार्य कराया गया था। गिटटी कुटाई में गन्ना मौरंग का प्रयोग दिखाकर भुगतान किया गया है जबकि मौके पर गन्ना मौरम प्रयुक्त नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 19,145.00 का गबन किया गया है। पत्थरों की रोडी द्वारा सडक की मोटाई चेक की गयी जो मानक के अनुरूप नहीं पाई गयी, जिसके फलस्वरूप रू0 28,322.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई। सी0सी0 रोड में ईटों के अदधे एवं ए0सी0सी0 की प्रयोग किया जाना दिखाया गया है तथा उसका भुगतान भी किया गया है, जो मौके पर नहीं पाया गया। इस प्रकार 19,741.00 रू0 एवं 2,897.30 रू0 का गबन किया गया है। सी0सी0 रोड में प्रयुक्त बेस कंक्रीट एवं सतह कंक्रीट शक्ति में कमजोर पाये गये, जिसके कारण रू0 54,220.00 एवं रू0 1,42,694.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है। सी0सी0 रोड में बनी नाली में ईटों की चुनाई एवं प्लास्टर की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नही पाई गयी, जिसके कारण रू0 5,140.00 एवं 2,623.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है। इस प्रकार उक्त मार्ग पर ईटों के अदधे गन्ना मोरम तथा ए0सी0 शीट का बिना प्रयोग किये भुगतान प्राप्त कर गबन करने, पत्थर की रोडी कम मात्रा में प्रयोग करने, बेस कंक्रीट एवं सतह कंक्रीट (1:2:4) में कमजोर शक्ति का मसाला प्रयोग करने तथा नाली निर्माण में ईटो की चिनाई एवं प्लास्टर की गुणवत्ता में कमी के कारण कुल रू0 2,74,512.00 की शासकीय क्षति/गबन किया जाना परिलक्षित हुआ है। उक्त शासकीय क्षति/गबन में से रू0 54,902.00 की शासकीय क्षति/गबन के लिऐ श्री दीनानाथ सिंह को उत्तरदायी पाया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर अप्राप्त।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या</u>

आरोप संख्या-1 में अपचारी अधिकारी को जी0टी0 रोड से रमवॉ संपर्क मार्ग के निर्माण में गन्ना मोरम प्रयुक्त न करने के फलस्वरूप रू0 19,145.00 का गबन करने, सी0सी0 रोड में ईटों के अदधे व ए0सी0 शीट का प्रयोग मौके पर न पाये जाने के फलस्वरूप रू0 22,363.30 का गबन करने, निर्मित सडक की क्रस्ट की मोटाई मानक के अनुरूप न पाये जाने के फलस्वरूप मु0 28,322.00 की शासकीय क्षति, सी0सी0 रोड में प्रयुक्त बेस कंक्रीट तथा सतह कंक्रीट(1:2:4) शकित् में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप 1,96,914.00 की शासकीय क्षति तथा सी0सी0 रोड में बनी नाली में ईटो की चिनाई व प्लास्टर की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाये जाने के फलस्वरूप रू0 7,763.00 की शासकीय क्षति के क्रम में शासकीय क्षति के विरूद्ध मु0 रू0 54,902.00 की शासकीय क्षति/गबन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिये आरोपित किया गया है। अपचारी अधिकारी से उक्त आरोप के क्रम में कोई बचाव उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 02-01-07 में मार्ग निर्माण में पाई गयी अनियमितता, शासकीय क्षति तथा शासकीय धनराशि के गबन करने संबंधी अंकित आख्या/ आंकलन जांच अधिकारी के मतानुसार औचित्यपूर्ण परिलक्षित होती है। उक्त के अतिरिक्त इसी आरोप में पृथक से संबंधित अधिशासी अभियंता को भी आरोपित किया गया है तथा उनके द्वारा भी प्रस्तुत बचाव उत्तर में कोई तथ्यपरक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से बचाव उत्तर/स्पष्टीकरण जांच अधिकारी को प्रस्तुत करने तथा आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमिता, शासकीय क्षति एवं शासकीय धनराशि का गबन करने संबंधी प्रस्तुत आख्या में कोई त्रुटि न पाये जाने के फलस्वरूप आरोप संख्या-1 आरोपित अधिशासी अभियंता/अपचारी अधिकारी पर स्थापित होने की पुष्टि जांच में हुई है। तदनुसार ही उक्त सहायक अभिंयता/अपचारी अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से आरोप पत्र प्राप्त न करने, बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रस्तुत न करने व साक्ष्य स्वरूप संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परीक्षण से कोई त्रुटि इंगित न होने के फलस्वरूप उक्त सहायक अभियंता/अपचारी अधिकारी कुल शासकीय क्षति रू0 2,74,512.00 के विरूद्ध रू0 54,902.00 की शासकीय क्षति/गबन करने के लिये उत्तरदायी है।

निष्कर्ष :-

आरोप संख्या-1 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

आरोप संख्या-2

ग्राम हीड में मिटटी कुटाई का कार्य, गांव में मिटटी डालने तथा सी0सी0 रोड का निर्माण व नाली निर्माण कार्य कराया गया था। सी0सी0 रोड में ईटों के अदधे एवं ए0सी0 शीट का प्रयोग करना दिखाया गया है तथा उसका भुगतान भी किया गया है, जो मौके पर नहीं पाया गया है, जिसके कारण रू0 17,988.00 एवं रू0 2,929.30 का गबन किया गया है। सी0सी0 रोड में प्रयुक्त बेस कंक्रीट एवं सतह कंक्रीट (1:2:4) शक्ति में कमजोर पाया गया, जिसके कारण रू0 1,01,854.00 एवं 2,41,810.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है। नाली के ऊपर डाली गयी ए0सी0 शीट स्लैब कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप रू0 7,924.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है, नाली में ईटों की चिनाई एवं प्लास्टर की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी, जिसके कारण रू0 6,600.00 एवं रू0 4,365.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है।

इस प्रकार उपरोक्त मार्ग पर ईटो के अदधे तथा ए0सी0 शीट का बिना प्रयोग किये गये भुगतान प्राप्त कर धनराशि का गबन करने, बेस कंक्रीट एवं सतह कंक्रीट (1:2:4) में कमजोर शक्ति का मसाला प्रयोग करने नाली के ऊपर डाली गयी आर0सी0सी0 स्लैब कमजोर पाये जाने तथा नाली निर्माण में ईटों की चिनाई एवं प्लास्टर की गुणवत्ता में कमी के कारण कुल रू0 3,83,470.00 की शासकीय क्षति/गबन किया जाना परिलक्षित हुआ है। उक्त शासकीय क्षति/गबन में से रू0 76,694.00 की शासकीय क्षति/गबन के लिये श्री दीनानाथ सिंह को उत्तरदायी पाया गया।

बचाव उत्तर अप्राप्त

जांच अधिकारी की जांच आख्या

अपचारी अधिकारी, श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अभियंता को ग्राम डीह में सी0सी0 रोड के कार्य में ईट के अदधे, ए0सी0 शीट का प्रयोग न हुआ पाये जाने के कारण रू0 20,917.00 का गबन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने, सी0सी0 रोड में प्रयुक्त बेस कंक्रीट एवं सतह कंक्रीट (1:2:4) का गबन करने, शक्ति मे कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप रू0 3,43,644.00 की शासकीय क्षति, नाली के ऊपर डाली गयी आर0सी0सी0 स्लैब कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप 7,924.00 तथा नाली में ईटों की चिनाई एवं प्लास्टर की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाये जाने के कारण रू0 10,965.00 की शासकीय क्षति सूचित करते हुये कुल शासकीय क्षतिगबन के विरूद्ध रू0 76,694.00 की शासकीय क्षत/गबन करने के लिये आरोपित किया गया है। अपचारी अधिकारी से उक्त आरोप के क्रम में कोई बचाव उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या में मार्ग निर्माण में पायी गयी अनियमितता/शासकीय क्षति तथा शासकीय धनराशि के गबन करने संबंधी अंकित आख्या/आंकलन जांच अधिकारी के मतानुसार औचित्यपूर्ण परिलक्षित होते हैं। उक्त के अितरिक्त इसी आरोप में पृथक से संबंधित अधिशासी अभियंता को भी आरोपित किया गया है तथा उनके द्वारा भी प्रस्तुत बचाव उत्तर में कोई तथ्यपरक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण बचाव उत्तर/स्पष्टीकरण जांच अधिकारी को प्रस्तुत न करने तथा आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता, शासकीय क्षति एवं शासकीय धनराशि का गबन करने संबंधी प्रस्तुत आख्या में कोई त्रुटि न पाये जाने के फलस्वरूप आरोप संख्या-1 आरोपित अधिशासी अभियंता/ अपचारी अधिकारी पर स्थापित होने की पुष्टि जांच में हुई है। तदनुसार ही उक्त सहायक अभियंता/ अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी से आरोप पत्र प्राप्त न करने, बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रस्तुत न करने व साक्ष्य स्वरूप संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परीक्षण से कोई त्रुटि इंगित न होने के फलस्वरूप उक्त सहायक अभिंयता/अपचारी अधिकारी कुल शासकीय क्षति रू0 3,83,470.00 के विरूद्ध रू0 76,694.00 की शासकीय क्षति/गबन करने के लिये उत्तरदायी है।

<u>निष्कर्ष</u>

उपरोक्तानुसार आरोप संख्या-2 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

<u>आरोप संख्या-3</u>

रू0 2.00 लाख के ऊपर के कार्यो का वृहद प्रचार समाचार पत्र के मायम से किये जाने की व्यवस्था है। श्री दीनानाथ सिंह द्वारा सम्पादित कराये गये जी0टी0 रोड से रमवा संपर्क मार्ग की लागत रू0 9.38 लाख तथा ग्राम डीह में निर्मित कराये गये सम्पर्क मार्ग की लागत रू0 5.85 लाख है, जिनका वृहद प्रचास्प्रसार समाचार पत्र में कराया जाना चाहिए था। श्री सिंह द्वारा जी0टी0 रोड से रमवा सम्पर्क मार्ग को 04 अनुबंधों के माध्यम से ग्राम डीह में निर्मित मार्ग का 03 अनुबंधों के द्वारा एक ही फर्म से कराया गया है जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ शासन को प्राप्त नहीं हो सका।

सहायक अभियंता के अनुबंध करने की वित्तीय सीमा मु0 रू0 2.00 लाख रू0 से अधिक नहीं है। जी0टी0 रोड से रमवा मार्ग की लागत रू0 5.38 लाख तथा डीह में निर्मित मार्ग की लागत रू0 5.85 लाख थी, जो उनकी वित्तीय सीमा से बाहर थी। श्री सिंह द्वारा स्वयं के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये उक्त कार्यो को टुकडो में बंटकर कराया गया है। इस प्रकार श्री दीनानाथ सिंह निर्माण कार्यो का वृहद प्रचास्प्रसार न करने एवं शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने के दोषी हैं।

<u>बचाव उत्तर अप्राप्त।</u>

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस आरोप में अपचारी अधिकारी के जी0टी0 रोड से रमवा संपर्क मार्ग व ग्राम डीह में निर्मित कराये गये संपर्क मार्ग की क्रमश: रू0 9.38 लाख की लागत के सापेक्ष इन मार्गो का निर्माण कार्य टुकडो में बांटकर क्रमश: 4 व 3 अनुबंध गठित कर सम्पादित कराने लागत के सापेक्ष कार्यो का वृहद प्रचार-प्रसार समाचार पत्र के माध्यम से न करने तथा शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने की अनियमितता के लिये अपारी अधिकारी को आरोपित किया गया है। अपचारी अधिकारी से उक्त आरोप पत्र के क्रम में कोई बचाव उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न टी0ए0सी0 की जांच आख्या व माप पुस्तिका की छायाप्रतियों आदि के परीक्षण से आरोप में उल्लिखित मार्गो के निर्माण हेतु क्रमश: 4 व 3 अनुबंध अपचारी अधिकारी द्वारा गठित करने की पुष्टि होती है। तदनुसार स्वीकृत लागत के अनुरूप कार्य की निविदासूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में नहीं किए जाने से शासन को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त न हो पाने तथा अपचारी अधिकारी द्वारा कार्यो को टुकडो में बांटकर अनुबंध गठित करते हुये कार्य को सम्पादित करने की पुष्टि जांच से होती है। अत: अपचारी अधिकारी निर्माण कार्यो का वृहद प्रचास-प्रसार न करने शासन द्वारा प्रदत्त अधिकरों का अतिक्रमण करने के लिये उत्तरदायी है।

निष्कर्ष

आरोप संख्या-3 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का प्रत्यावेदन

अपचारी अधिकारी श्री दीनानाथ सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 21-07-2008 में मुख्य रूप से उल्लिखित किये गये तथ्य एवं उसके संबंध में विवेचना/खण्डन निम्नवत है :-

बिन्दु-1

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 द्वारा उनकी अनुपस्थित में निर्माण कार्यो की जांच की गयी, जो उन्हें स्वीकार नहीं है।

खण्डन/विवेचना

किसी कार्य के स्थलीय निरीक्षण/जांच के समय कार्य कराने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का उपस्थित रहने की अनिवार्यता नियमानुसार होती है। अतएव अपचारी अधिकारी की अनुपस्थित के आधार पर उन्हें आरोप मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

बिन्दु-2

प्रारम्भिक जांच में परिलक्षित कमियों के उपरान्त उच्चाधिकारियों (अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता) द्वारा कार्य में परिलक्षित कमियों के निराकरण/सुधारात्मक दिशा निर्देश निर्गत न कर प्रकरण को दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जो उचित नही था।

खण्डन/विवेचना

किसी कार्य की प्रगति की अवस्था में उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण/जांच के समय कोई कमी परिलक्षित होती है तो उसे सुधार करने के आदेश निर्गत किये जाते है। यदि कार्य में काफी अधिक कमियां परिलक्षित हो तथा कार्य का अंतिम भुगतान आदि किया जा चुका हो तो ऐसी अवस्था में उच्चाधिकारियों का दायित्व होता है कि उक्त स्थिति से सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी को अवगत कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करें। अतएव प्रकरण में उच्चाधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही नियम संगत/तार्किक है।

बिन्दु-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आरोप सं0-1 में संबंधित ठेकेदार से शासकीय क्षति से पृथक रखने, जी0टी0 रोड से रमवां का अवशेष भाग के निर्माण कार्य में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व किसी अन्य विभाग द्वारा कराये गये मार्ग के सोलिंग कोट को भी सम्मिलित करते हुये शासकीय क्षति की गणना की गयी है, जो उन्हें स्वीकार नही है।

खण्डन/विवेचना

किसी कार्य की प्रारम्भिक जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति में ठेकेदार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था शासनादेश दि0 14.07.2009 में की गयी है। प्रश्नगत टी0ए0सी0 जांच वर्ष 2007 में सम्पन्न की गयी थी, तत्समय उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश दि0 06-06-1985 में किसी जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति को अवर अभियंता, सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता के मध्य बांटा गया था। शासनादेश दि0 14.07.2009 से पूर्व तक ठेकेदार को प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायित्व बताये जाने की व्यवस्था लागू नही थी। इसी प्रकार टी0ए0सी0 जांच के समय मार्ग के सोलिंग कोट मीडिल कोट व टॉप कोट को संयुक्त रूप से जांच किया गया, जो नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रश्नगत निर्माण कार्य में किसी अन्य विभाग द्वारा 10 वर्ष पूर्व कराये गये सोलिंग कोट की कमी आदि का निराकरण करने हेतु उसका निरीक्षण/परीक्षण कर उक्त मार्ग में आवागमन के कारण गिटटयों के गायब हो जाने व अनेक स्थानों में गडढे आदि हो जाने आदि को संज्ञान में लेते हुये प्राक्क्लन में गडढो को भरने, मार्ग का समतलीकरण करने हेतु 43.20 घनमी0 45-90 एमएम ग्रेड की गिटटी की आपूर्ति ली गयी थी। उसके उपरान्त मीडिल कोट व टॉप कोट का निर्माण कार्य कराया गया था।

बिन्दु-4

आरोप सं0-1 व 2 में टी0ए0सी0 जांच आख्या में गन्ना मोरम, ईट के अदधे एवं ए0सी0 सीट जांच के समय न पाने पर 2 वर्ष से अधिक खुले मार्ग एवं उसके क्षरण को संज्ञान में नही रखा गया। इसी प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता संबंधी प्रक्रिया पूर्ण न कर मात्र स्पर्श करने एवं दृष्टि परीक्षण के आधार पर शासकीय क्षति आंकलित की गयी है।

खण्डन/विवेचना

टी0ए0सी0 जांच के समय निर्माण कार्य में गन्ना मोरम, ईट के अदधे व ए0सी0 सीट की आंशिक रूप से भी प्राप्त होने की पुष्टि नही की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि निर्माण कार्य के समय गन्ना मोरम, ईट के अदधे व ए0सी0 सीट का प्रयोग किये बगैर ही उसका भुगतान किये जाने की स्थिति पायी गयी है, जो कि सीधे तौर पर गबन की श्रेणी में आता है। टी0ए0सी0 के स्थलीय निरीक्षण के समय प्लास्टर उखडा हुआ पाये जाने एवं सी0सी0 कार्य व नाली के कार्य में ईटों की चिनाई आदि व्यवस्थित न पाये जाने के आधार पर ही टी0ए0सी0 द्वारा शासकीय क्षति का आंकलन किया गया है।

बिन्दु-5

आरोप सं0-3 में 02 लाख से अधिक धनराशि के कार्यो का नियमानुसार वृहद प्रचास्प्रसार बिना किये तथा उच्चाधिकारियों के के अधिकरों का अतिक्रमण करते हुये कार्य को टुकडो में बॉटकर निविदा आमंत्रित किये जाने के संबंध में टी0ए0सी0 द्वारा कार्य प्रदत्त किये जाने वाली संस्था के द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 01 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु दिये गये निर्देश को संज्ञान में नही लिया गया है। 01 माह में कार्यपूर्ति हेतु कार्य को टुकडो में बांटने की मौखिक सहमति अधिशासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंता से प्राप्त करने के उपरान्त अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित करते हुये एक ही ठेकेदार से कम दर के आधार पर निविदा उन्हें आमंत्रित की गयी थी, जो नियमानुसार है।

खण्डन/विवेचना

यह सही है कि कार्य प्रदत्त संस्था द्वारा निर्माण कार्य को एक माह में कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश/अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अपचारी अधिकारी को टुकडो में निविदा आमंत्रित करने के पूर्व उच्चाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये थी जो उनके द्वारा नही किया गया। अतएव उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।

3- उपरोक्त वर्णित स्थिति में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का प्रत्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त परिलक्षित हुआ है कि अपचारी अधिकारी, श्री दीनानाथ सिंह के प्रत्यावेदन दि0 21-07-2008 में किसी ऐसे विशेष तथ्य का उल्लेख नही किया गया है, जिससे उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 14-05-2008 में निर्गत दण्डादेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फतेहपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2008 को बलहीन पाये जाने के दृष्टिगत निरस्त कर निस्तारित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-127/2019/2361(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फतेहपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in